

सट्टेबाजी ऐप प्रमोशन मामला: ED का बड़ा एवं शुक्रवार 19 दिसम्बर 2025



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। अवैध सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से जुड़े मनी लॉन्डिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री नेहा शर्मा सहित कई नामी हस्तियों की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। एंजेंसी की यह कार्रवाई प्रवेशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में मॉडल-अभिनेत्री

उर्वशी की मां, बगली अभिनेता अंकुश हाजरा, पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथपा और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती की संपत्तियों को भी ED ने कुर्कुत किया है। जब्त की गई कुल संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

अंतरिम आदेश जारी करने के बाद यह कार्रवाई की है। इससे पहले भी इस मामले में संबंधित सेलेब्स से पूछताछ की जा चुकी है। बीते 24 सितंबर को ED ने अभिनेता सोनू सूद से दिल्ली स्थित कायालय में कीरीब सात घंटे तक पूछताछ कर PMLA के तहत बयान दर्ज किया था। गौरतलब है कि इससे पहले ED ने इसी केस में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की भी 11.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं।

1xBET पर पहले से प्रतिबंध

1xBET साइप्रेस स्थित एक ऑनलाइन बेटिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। वह प्लेटफॉर्म दुनिया भर के खेल आयोजनों पर सट्टा लगाने की सुविधा देता है और खुद को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बताता है।

हालांकि भारत में यह ऐप और वेबसाइट प्रतिबंधित हैं। जांच एंजेंसियों का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन, टैक्स चोरी और मनी लॉन्डिंग की गई।

भारत सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग और सट्टेबाजी ऐप्स पर सख्त रुख अपनाते हुए हाल ही में ऑनलाइन रेमिंग बैंक 2025 के तहत ऐसे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि इन ऐप्स से आम लोगों की भारी मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, करोड़ों लोग ऑनलाइन बेटिंग की लत से प्रभावित हुए हैं और इससे हजारों करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

राजस्थान बोर्ड ने 10वीं-12वीं परीक्षा का टाइम टेबल किया जारी, 19.86 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल



24 न्यूज अपडेट

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होंगी, जो कुल 17 दिन चलेंगी। वहाँ 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक संपन्न होंगी, जिनकी अवधि 28 दिन निर्धारित की गई है। बोर्ड सचिव गंडेंद्र सिंह राठोड़ ने बताया

परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को कुल 6 दिन की छुट्टी मिलायी। इनमें चार रविवार तथा होली और धूलडी के अवकाश शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कुल 19 लाख 86 हजार 422 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। इनमें कक्षा 10वीं के 10 लाख 68 हजार 610 विद्यार्थी, कक्षा 12वीं के 9 लाख 05 हजार 572 विद्यार्थी, वरिष्ठ उपाध्याय के 4 हजार 123 तथा प्रवेशिका के 7 हजार 817 विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेश का साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इस बारे तेजी से किया जाएगा, ताकि परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।

परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, नकल पर रहेंगी कड़ी नजर बोर्ड सचिव

ने बताया कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

प्रश्न पत्रों को पुलिस थानों

और चौकियों में सुरक्षित रखा जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के करीब 15 जिलों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहाँ विशेष तौर पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

इन जिलों में लगभग 51 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इस बारे तेजी से किया जाएगा, ताकि परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।

उदयलाल डांगी और प्रतापलाल भील बने MLSU बॉम मेम्बर



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मोहनलाल सुखांडिया विश्वविद्यालय (सुविवि) के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट (BOM) में लंबे समय बाद राजनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की सहमति के बाद यह नियुक्तियां की हैं, जिससे विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रशासनिक निकाय में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहाल हो गया है।

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा क्षेत्र बल्लभनगर (उदयपुर) से विधायक श्री उदयलाल डांगी तथा गोंगुड़ा (उदयपुर) से विधायक श्री प्रतापलाल भील को सुविवि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का सतर्य समनोनीत किया गया है।

यह मनोनयन मोहनलाल सुखांडिया विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 19(1)(III)(vi) के तहत किया गया है। दोनों विधायकों की यह नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा विधानसभा तथा सदस्यता की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेंगी। आदेश के अनुसार यह मनोनयन तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा और इसकी अवधि 6 जून 2026 तक निर्धारित की गई है।

इस संबंध में आदेश संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग डॉ. पुकेश कुमार शर्मा द्वारा जारी किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन और शैक्षणिक हलकों में इन नियुक्तियों को लंबे अंतराल के बाद हुआ महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की नीतियों और विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

लगातार चार दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर तेजी रही। सेसेक्स 447 अंक चढ़कर 84,929 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 150 अंक की तेजी रही, ये 25,966 के स्तर पर बंद हुआ।

सेसेक्स के सभी 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स पैसेंजर बीकल, पावर ग्रिड और BEL के शेयरों में 2% तक की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। NSE के सभी सेक्टर्स ऊपर हुए। ऑटो, रियलटी और हेल्थकेयर में सबसे ज्यादा तेजी है।

चांदी 2 लाख के ऊपर बरकरार, आज 784

सत्ती हुई: सोने की कीमत में 80 रुपए की गिरावट, 1,32,394/10G पहुंचा

लगातार चार दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर तेजी रही। सेसेक्स 447 अंक चढ़कर 84,929 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 150 अंक की तेजी रही, ये 25,966 के स्तर पर बंद हुआ।

सेसेक्स के सभी 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स पैसेंजर बीकल, पावर ग्रिड और BEL के शेयरों में 2% तक की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में तेजी और 9 में गिरावट रही। NSE के सभी सेक्टर्स ऊपर हुए। ऑटो, रियलटी और हेल्थकेयर में सबसे ज्यादा तेजी रही।

चांदी 2 लाख के ऊपर बरकरार, आज 784

सत्ती हुई: सोने की कीमत में 80 रुपए की गिरावट, 1,32,394/10G पहुंचा



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। निर्माण एवं इंटीरियर डेकोरेशन क्षेत्र से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रदर्शनी 'नेक्स्टोज निर्माण एवं इंटीरियर डेकोरेशन' के आठवें संस्करण का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को शुभ करार गार्डन में हुआ। तीन दिवसीय यह एक्सपो 19 से 21 दिसंबर

विशिष्ट पहचान देना चाहता है, ऐसे में वही प्रोडक्ट और डिजाइन टिकाऊ साथित होंगे। जो समय के साथ स्वयं को अपडेट करेंगे। व्यवसायियों को बदलती सोच के अनुरूप नवाचार को अपनाना होगा। इस नॉलेज सेशन में इस क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स ने भी उद्यमपूर्वक भाग लिया और प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिजासाओं को समाधान प्राप्त किया।

उद्यमियों के लिए विशेष सेमिनार

संपादकीय : रोजगार की राह

देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर आबादी के लिए रोजी-रोटी का इंतजाम एक बड़ी चुनौती रही है। लंबे समय तक इस समस्या के बने रहने का नतीजा यह हुआ कि विकास एक तरह से विभाजित रहा और एक बड़ा तबका मुख्यधारा में शामिल होने की कोशिशों से भी वंचित रहा। मगर जब से गारंटी के रूप में ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने की पहल हुई है, उसके बाद से एक बड़ा फर्क दर्ज किया गया। करीब बीस वर्ष पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा लागू हुआ, तो उसके तहत वर्ष में सौ दिन काम की व्यवस्था से गांव-देहात में रहने वाले परिवारों के सशक्तीकरण में उल्लेखनीय मदद मिली। मनरेगा की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कई बार इसे दुनिया भर में एक सीखने लायक कार्यक्रम के तौर पर भी देखा गया। अब केंद्र सरकार ने मनरेगा का रूप बदल कर उसका नाम 'विकास भारत- रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'बीबी - जी राम जी' रखा है और उसमें अब कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इससे संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। गैरतलब है कि नई प्रस्तावित व्यवस्था मनरेगा का ही नया स्वरूप होगी, जिसमें ग्रामीण परिवार को सौ दिन के बजाय एक सौ पच्चीस दिनों के रोजगार की गारंटी की बात की गई है। इसके अलावा, खर्च वहन करने, पारिश्रमिक भुगतान और खेतों के दिनों के संदर्भ में नए प्रावधानों की वजह से इस योजना के किसानों और मजदूरों, दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने की उम्मीद की जा रही है। मनरेगा के तहत जिन लोगों को काम मिलता है, उनकी मजदूरी का लगभग पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती रही है।

खामी की परतें

चुनावों के दौरान अक्सर आनन्द-फानन में घोषणाएं की जाती हैं। ऐसी योजनाओं के अमल के दौरान लापरवाही की आशंका बनी रहती है। कई बार यह चूक का नतीजा होती है तो कभी जानबूझ कर ऐसा करने के आरोप लगते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत एक करोड़ चालीस लाख महिलाओं के खाते में दस- दस हजार रुपए भेजे गए थे। इसका उद्देश्य जो भी रहा हो, लेकिन हड्डबड़ी में घोषित इस योजना को अमल में लाने के क्रम में कई पुरुषों के खाते में भी राशि भेज दी गई। सवाल है कि अगर यह सिर्फ चूक थी, तो इसके लिए क्या खुद सरकारी तंत्र जिम्मेदार नहीं हैं? खबरों के मुताबिक, बिहार के दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई मामले सामने आए। सफाई के तौर पर कहा जा रहा है कि 'तकनीकी खामी की वजह से ऐसा हुआ और अब उसकी वसूली की खबरें हैं। मगर चुनाव से ऐसा हपहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में राशि अंतरित करते हैं। मगर चुनाव से ऐसा हपहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में राशि अंतरित करते समय संबंधित अधिकारियों ने पर्याप्त सावधानी क्यों नहीं

जबकि सामान आदि का खर्च एक निश्चित अनुपात में राज्य सरकारें उठाती हैं। अब कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़ कर 'बीबी - जी राम जी' के तहत होने वाले कुल खर्च का साठ फीसद केंद्र सरकार वहन करेंगी और चालीस फीसद राज्य सरकारें उठाएंगी। इस योजना के अंतर्गत खेतों में बुआई और कटाई के मौसम में साठ दिनों के दौरान मजदूरों को काम नहीं मिल सकेगा, ताकि खेती-किसानों के काम के लिए मजदूरों की कमी न हो। इसके अलावा, इस काम में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए मजदूरों के भुगतान में ब्याओमेट्रिक और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी। जाहिर है, बदलावों के बाद अगर रोजगार गारंटी की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों के मजदूरों के लिए सहायक सिद्ध हुई, तो बेशक इसे एक सकारात्मक कदम माना जाएगा। देश की ग्रामीण आबादी के हित में प्रथम दृष्टान्त यह योजना एक बेहतर पहल लगती है, लेकिन इस संदर्भ में विषयी दलों की ओर से कई अशक्तार भी जाताएं गई हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में काम करने की जगह तय करने से लेकर अन्य मामलों में यह योजना केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित और उसकी शर्तों पर आधारित होगी, तो खर्च का जिम्मा राज्यों पर आएगा। ऐसे में इसके नीति घोषित दावों के मुकाबले उलट भी आसकते हैं और इसका काम के अधिकार पर विपरीत असर पड़ सकता है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी लागू होने के बाद से मनरेगा की अहमियत छिपी नहीं रही है। खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में गरीब तबकों के लोग भयावह अभाव से ज़बूर हो थे, तब मनरेगा उनके लिए जीवन-रेखा साबित हुआ। ऐसे में यह देखने की बात होगी कि नए स्वरूप में ग्रामीण इलाकों के गरीब तबकों के लिए रोजगार गारंटी की नई व्यवस्था कितनी सहायक साबित होगी।

पुरीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली हाईकोर्ट में होणी सुनवाई

सुनवाई कोर्ट में विवाह राजपरिवार के लिए विवाद की वसीयत को चुनौती देते हुए उनकी पुत्री पद्मा कुमारी परमार ने जोधपुर बेंच राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को बॉन्ड हाईकोर्ट भेजने का आग्रह किया था। इन परस्पर विवाही मांगों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायित में दिल्ली हाईकोर्ट को उपयुक्त मंच मानते हुए अंतिम आदेश पारित किया।

अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को बेटी पद्मा कुमारी ने दी चुनौती, मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में



24 न्यूज अपडेट

इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी लंबित मामलों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोनों पक्षों के बीच अन्य कोई मामला लंबित हो, तो उसे भी दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित कराने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

दोनों पक्षों की अलग-अलग विवाहिकाएं

लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मुंबई हाईकोर्ट में लंबित मामलों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। वहीं पद्मा कुमारी परमार ने जोधपुर बेंच राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को बॉन्ड हाईकोर्ट भेजने का आग्रह किया था। इन परस्पर विवाही मांगों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायित में दिल्ली हाईकोर्ट को उपयुक्त मंच मानते हुए अंतिम आदेश पारित किया।

दशकों पुराना है मेवाड़ राजपरिवार का संपत्ति विवाद

मेवाड़ पूर्व राजपरिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की जड़ें वर्ष 1983 से जुड़ी हैं, जब महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने परिवारिक संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने का निर्णय लिया। इस निर्णय का उनके बड़े पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ ने विरोध किया और न्यायालय के उत्तराधिकारी माने जाते हैं—और उनकी बहन पद्मा कुमारी के बीच है।

इसके बाद परिवारिक मतभेद गहराते चले गए। 1984 में भगवत सिंह मेवाड़ के निधन के पश्चात यह विवाद और जटिल हो गया। लगभग 37 वर्षों तक काली काली लड़ाई के बाद वर्ष 2020 में उदयपुर जिला अदालत ने संपत्तियों के बंटवारे का आदेश पारित किया। हालांकि, इसके बावजूद विवाद पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ और अब एक बार फिर यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराली है। अब यह मामला ऐतिहासिक विवास, ट्रस्ट, वसीयत की वैधता और न्यायिक अधिकार क्षेत्र में जुड़े गंभीर संवेदनकारी प्रस्तावों की शरण ली। इसके बावजूद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई है से यह तय होगा कि मेवाड़ राजपरिवार के इस लंबे विवाद को न्यायिक रूप से किस दिशा में अंतिम समाधान मिलता है।

उदयपुर के पूर्व राजपरिवार से उड़ाने के उद्देश्य से उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामलों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। वहीं पद्मा कुमारी परमार ने जोधपुर बेंच राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को बॉन्ड हाईकोर्ट भेजने का आग्रह किया था। इन परस्पर विवाही मांगों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायित में दिल्ली हाईकोर्ट को उपयुक्त मंच मानते हुए अंतिम आदेश पारित किया।

उदयपुर के लंबे विवाद की वसीयत को चुनौती देते हुए उनकी पुत्री पद्मा कुमारी परमार ने जोधपुर बेंच राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को बॉन्ड हाईकोर्ट भेजने का आग्रह किया था। इन परस्पर विवाही मांगों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायित में दिल्ली हाईकोर्ट को उपयुक्त मंच मानते हुए अंतिम आदेश पारित किया।

मेवाड़ पूर्व राजपरिवार में संपत्ति को लेकर विवाद की जड़ें वर्ष 1983 से जुड़ी हैं, जब महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ ने परिवारिक संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने का निर्णय लिया। इस निर्णय का उनके बड़े पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़ ने विरोध किया और न्यायालय के उत्तराधिकारी अॅलराउंडर हैं, जो अपने लेफ्ट-आर्म रिप्पन गेंडबाजी के साथ-साथ मध्यक्रम में सशक्त विवाद करते हुए व्यक्ति के लिए भी जाते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ रोशनी देते हुए अंतिम आदेश पारित किया।

एम.डी.एस. स्कूल के हिमांशु जनवा का राजस्थान अंडर-16 क्रिकेट टीम के लिए चयन

का ध्यान आकर्षित किया है। हिमांशु वर्तमान में एम.डी.एस. स्कूल की कक्षा 10वीं में नियमित छात्र हैं तथा पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। वे चैंपियन राजीव द्वारा संचालित अकादमी में हिमांशु को खिलाड़ी श्री चंद्रपाल सिंह चुंडावत का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अनुभवी कोच के निर्देश में हिमांशु

पंचायत-निकाय चुनावः काम नहीं आया लोड़ा का 'संयम', सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, राजस्थान सरकार 15 अप्रैल तक करा सकेगी चुनाव



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली / जयपुर। राजस्थान में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने का मार्ग साफ हो गया है। यह आदेश जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पूर्ण विधायक संघम लोड़ा द्वारा दायर विशेष अनुमति

विधायक कमीशन कांडः सदाचार कमेटी से जिसने जितना टाइम मांगा, उतना दिया, 7, 10 और 15 दिन में पेश करने होंगे सबूत



24 न्यूज अपडेट

जयपुर। विधायक फंड में कमीशन मांगने के सनसनीखेज आरोपों पर विधानसभा की सदाचार कमेटी ने जांच को निर्णयक मोड़ देते हुए तीनों विधायकों को स्पष्ट समय-सीमा दे दी है। शुक्रवार को हुई लंबी पूछताछ के बाद कमेटी ने साफ कर दिया कि अब आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि निर्धारित समय में ठोस सबूत ही तय करेंगे। अधिकारी जाटव को 7 दिन और उत्तर बनावत को 10 दिन रेवंतराम डांगा को 15 दिन

रोडवेज की व्यवस्था सुधारने की उठी मांग, ग्राहक पंचायत ने सौंपा ज्ञापन



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन द्वारा ग्राहक पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत रोडवेज बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं को लेकर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक हेमन्त शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राहक पंचायत संगठन के प्रांत

कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण करने के लिए रिले स्टेशन स्थापित किए : संसद



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। आकाशवाणी स्टेशनों द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण करने के लिए प्रसार भारती के रिले स्टेशन पूरे देश में स्थापित किए गए हैं। इससे तकनीकी और मानव संसाधनों का संबोधन उपयोग सुनिश्चित हो रहा है और सार्वजनिक

याचिका (SLP) पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के 14 नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुसार शहरी निकायों और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

सरकार ने जताई समय पर चुनाव कराने की प्रतिबद्धता

सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम. नटराज और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि सरकार हाईकोर्ट द्वारा

तय की गई समय-सीमा के भीतर पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश स्थानीय स्वशासन से जुड़े सर्वेधानिक और वैधानिक ढांचे के अनुरूप तथा संतुलित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप राज्यव्यापी परिसीमन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, जिससे वार्ड सीमाओं, मतदाता सूचियों और आरक्षण रोस्टर को लेकर असंज्ञस की स्थिति पैदा होगी।

15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को लगभग 439 याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाएं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे, और एक बार परिसीमन का अंतिम नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को लगभग 439 याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाएं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे, और एक बार परिसीमन का अंतिम नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

एक ही सत्र में कई डिग्रियां, सिस्टम को किया गुमराह

SOG ने जयपुर से असिस्टेंट फायर ऑफिसर को दबोचा, फर्जी डिग्री, तीन साल से कर रही थी नौकरी



24 न्यूज अपडेट

ही शैक्षणिक सत्र में अलग-अलग संस्थानों से कई डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए। आरोपी ने राजस्थान एकीकरण यूनिवर्सिटी, कोटा से नियमित मोड में बी.टेक की डिग्री हासिल की। इसी दौरान महाराष्ट्र के नामांग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग (NIFSE) से फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का एक वर्षीय डिप्लोमा भी नियमित मोड में प्राप्त किया। यहीं मामला नहीं रुका। NIFSE नामांग से लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद आरोपी ने दोबारा 'असिस्टेंट फायर ऑफिसर' का डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके साथ ही उसी शैक्षणिक सत्र में जून्यूनू स्थित संघानिया यूनिवर्सिटी से भी 'असिस्टेंट फायर ऑफिसर' का डिप्लोमा हासिल किया गया। दोनों संस्थानों के बीच करीब 900 किलोमीटर की दूरी है, जिससे एक साथ नियमित अध्ययन पर पांचीर सवाल खड़े हो गए हैं।

फर्जी दस्तावेजों से मिली सरकारी पोस्टिंग

SOG की जांच में सामने आया कि इन डिप्लोमा प्राप्ति के आधार पर आरोपी ने कर्मचारी चयन बोर्ड और स्वायत्त शासन विभाग को गुमराह किया। इससे फर्जीबाड़े के सहारे साल 2022 में उसे असिस्टेंट फायर ऑफिसर के पद नियुक्ति मिल गई। तब से वह जयपुर के मालवीय नगर जाने में पदस्थ थी।

प्रछाताछ जारी, और खुलासे की संभावना

SOG ने आरोपी महिला अधिकारी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एंजेसी यह भी पूछताल कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी अन्य स्तर पर मिलीभाग तो नहीं हुई और फिजिकल प्रैक्टिकल परीक्षा में अधिक अंक दिए गए। यहीं से SOG को पूरे चयन पर संदेह हुआ और जांच का दायरा बढ़ाया गया।

खाकी का साहसः धृदकते बेसमेंट में काल को मात दे आए कांरटेबल सतनाम सिंह, बचाई 5 जिंदगियां

24 न्यूज अपडेट

मिली। बिना एक पल गंवाए सतनाम मौके पर पहुंचे। बेसमेंट में इन्हाँने जान देसम्बर 2021 से सामने आया कि इन डिप्लोमा प्राप्ति के आधार पर आरोपी ने कर्मचारी चयन बोर्ड में उसके बास्तव में उसके वास्तविक विवरण को गुमराह किया। बेसमेंट में आरोपी की उपरांत एक बार जांच की जाने जो खाकी में डालकर मौत के मूँह से पूरे पांच युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि, इस हादसे की भायावहत के कारण एक युवक को नहीं बचाया जा सका, लेकिन सतनाम के लिए त्वरित विवरण दिया गया। कब्जे के हीरो चौक स्थित यदवंशीय कॉलोनी के जय गेस्ट हाउस में बूधवार रात हुए भीषण अपिनिंग में कांस्टेबल सतनाम सिंह एक देवदूत बनकर सामने आए। उनकी इस वीरता की दौरान युवकों को बाहर निकाला और तुरंत उपचार के लिए मनोहर हॉस्पिटल रवाना किया। हालांकि, इस हादसे की भायावहत के कारण एक युवक को नहीं बचाया जा सका, लेकिन सतनाम के लिए त्वरित विवरण दिया गया। डीजीपी श्री शर्मा ने कांस्टेबल की जांच की दौरान युवकों को बाहर निकाला और उनकी हाईसला-अफजाई के लिए त्वरित निर्णय लेते हुए उन्हें डीजीपी डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा की है। आधीरतको मफलर बांधकार आग को तांडवमें कूदे सतनाम सिंह की इस वीरता की दौरान युवकों को बाहर निकाला जाएगा। रात बाजार रात जब गेस्ट हाउस के बेसमेंट में अचानक आग लगी तो वहां ठहरे छह युवकों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। भारी धूम और अलर्ट लगने के बाद युवकों ने खाकी का मान बढ़ाया है।

अजमेर में वकीलों ने PWD अधिकारी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा



24 न्यूज अपडेट

पहुंचाया। घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिसके चलते हालात और संवेदनशील हो गए।

वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाला मोर्चा

पीडल्लूडी अधिकारी के साथ कथित दुर्बलवाहर की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सिटी डिमांशु जागिंड और प्रशिष्यु आईपीएस अजय ये सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ज

